न्यायालयः– अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम, दानापुर

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–434 / 2026

1. सूर्यकांत कुमार पिता विरेन्द्र कुमार।
साकिन– मोहनचक इस्लामपुर,थाना–इस्लामपुर,जिला–नालन्दा।
––––– अभियुक्त।

आवेदक की ओर से– श्री विद्या लक्ष्मी, अधिवक्ता।
अभियोजन की ओर से –श्री रामकेश्वर प्रसाद, लोक अभियोजक।

आदेश

13.03.2026 रूपसपुर थाना कांड संख्या–56 / 2024 धारा– 419,420,467,468 / 34 भा0द0वि0 से संबंधित है, के याची अभियुक्त की ओर से यह अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है।

इस जमानत आवेदन पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि इस अग्रिम जमानत आवेदन के पूर्व ना ही सत्र न्यायालय और ना ही माननीय उच्च न्यायालय में जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक निर्दोष है, इसने कोई अपराध नहीं किया है। अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर छोड़ने की प्रार्थना करते हैं।

विद्वान अपर लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।

संक्षेप में सूचक का कथन है कि दिनांक–21.01.2024 को केन्द्र संख्या–119053 में सी.टी.ई.टी. परीक्षा के दौरान एक परीक्षार्थी जिसका नाम परमेश्वर कुमार को वॉयोमेट्रिक मिलान के दौरान अंतर पाया गया और गहन जॉच के दौरान यह परीक्षार्थी फर्जी पाया गया। पाया गया कि यह परीक्षार्थी सूर्यकांत कुमार है, जिसका क्रमांक 119050670 की जगह परीक्षा दे रहा था, जिसकी सूचना थाना को दी गयी व फर्जी परीक्षार्थी परमेश्वर कुमार को अग्रतर कार्रवाई के लिये एवं जॉच हेतु अपने साथ थाना लेकर चली गयी। उचित कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

सुना। अभिलेख व कांड दैनिकी का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि सह अभियुक्त का जमानत हुआ है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अभियुक्त द्वारा भविष्य में इसतरह का अपराध नहीं करने का अंडरटेकिंग दाखिल करने व एक जमानतदार निकट संबंधी होने पर आदेश की तिथि से 30 दिनों के अंदर निम्न न्यायालय में आत्मसमर्पण / गिरफ्तार होने पर धारा–438(2) द.प्र.सं.

में वर्णित शर्तों के अधीन मो0 10,000/—रू0 के दो प्रतिभू के बंधपत्र दाखिल करने पर अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है। कार्यालय आदेश की प्रति विद्वान अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित करें

लेखापित,
Sd/-

अ0स0न्याया0,पंचम,दानापुर।